भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4033

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

प्रतिबंधित लेखापरीक्षा कंपनियों द्वारा लेखा परीक्षा कार्य

4033. श्री पी. एल. पुनियाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कितनी लेखापरीक्षा कंपनियां हैं जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ये प्रतिबंधित कंपनियां सरकार की किसी भी एजेंसी की लेखापरीक्षा नहीं कर सकती हैं; और
(ग) क्या यह सच है कि प्रतिबंधित लेखापरीक्षा कंपनियों को सरकार द्वारा लेखापरीक्षा कार्य दिया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरुण जेटली)

(क), (ख) और (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 'लेखापरीक्षा कंपनियों' की कोई अवधारणा नहीं है। हालांकि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की किसी फर्म को लेखापरीक्षा कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 में केवल संस्थान के सदस्य के विरुद्ध ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। आईसीएआई का सदस्य यदि व्यवसायिक और/या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटाकर और उसका प्रैक्टिस प्रमाणपत्र रद्द करके उसे लेखापरीक्षा करने और कार्यों को साक्ष्यांकित करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। आईसीएआई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्मों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

साथ ही, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सेबी) ने 11 (ग्यारह) निकायों अर्थात् (1) मैसर्स प्राइस वाटरहाउस, बंगलोर (आईसीएआई रजिस्ट्रेशन सं. 007568एस), (2), मैसर्स प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी, बंगलोर (आईसीएआई रजिस्ट्रेशन संख्या 007567एस), (3) मैसर्स प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी, कोलकाता (आईसीएआई रजिस्ट्रेशन संख्या 304026ई), (4) मैसर्स लवलॉक एंड लीवीस, हैदराबाद (आईसीएआई रजिस्ट्रेशन सं. 301056ई), (5) मैसर्स लवलोक एवं लीवीस, मुम्बई, (आईसीएआई रजिस्ट्रेशन सं. 116150डब्ल्यू), (6) मैसर्स प्राइस वाटरहाउस, कोलकाता (आईसीएआई रजिस्ट्रेशन सं. 301112ई), (7) मैसर्स प्राइस वाटरहाउस, नई दिल्ली (आईसीएआई सं. 12754एन), (8) मैसर्स प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी, चेन्नई (आईसीएआई रजिस्ट्रेशन सं. 50032एस), (9) मैसर्स प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी, नई दिल्ली (आईसीएआई रजिस्ट्रेशन सं. 16844एन), (10) मैसर्स दलाल एंड शाह, अहमदाबाद (आईसीएआई रजिस्ट्रेशन सं. 102020डब्ल्यू) और (11) मैसर्स दलाल एंड शाह, मुंबई (आईसीएआई रजिस्ट्रेशन सं. 102021डब्ल्यू) के विरुद्ध यह निदेश देते हुए एक आदेश दिनांक 10.01.2018 को पारित किया कि तुरंत प्रभाव से भारत में प्राइस वाटरहाउस के ब्रांड और बैनर के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में, सूचीबद्ध कंपनियों की अनुपालना और दायित्वों और सेबी के साथ पंजीकृत मध्यस्थ और सेवी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षाओं, प्रतिभूति संविदाओं (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपपुष्टि अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 के वे प्रावधान जिनका प्रशासन सेबी द्वारा धारा 24 का, नियम, विनियमन और दिशानिर्देश जो उन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए जाते हैं और जिनका प्रशासन सेबी द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है कोई लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेंगे। परिचालन कठिनाइयों, जो प्राइस वाटरहाउस निकायों के वर्तमान उपभोक्ताओं के सामने आ सकती हैं, को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य के कारण कि आदेश वित्तीय वर्ष, के अंत में पारित किया जा रहा है, आदेश ने स्पष्ट किया कि निदेश लेखापरीक्षा कार्यों को प्रभावित नहीं करेंगे जो वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित है। हालांकि माननीय प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसएटी) ने दिनांक 15/02/2018 के अपने अंतरिम आदेश के जरिए प्राइस वाटरहाउस (पीडब्ल्यू) निकाय, जो ऊपर वर्णित है, को लेखापरीक्षा/प्रमाणन कार्य अपने वर्तमान ग्राहकों के लिए 31/03/2019 या अधिकरण के सम्मुख कार्रवाइयों के पूरा होने तक जारी रखने की अनुमति दी है।

इसके अतिरिक्त, सेबी ने दिनांक 10/01/2018 के अपने आदेश द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों और मध्यस्थ, जो सेबी के साथ पंजीकृत हैं, को निदेश दिए हैं कि वे किसी लेखा फर्म जो प्राइस वाटरहाउस नेटवर्क का कोई भाग हो, को सांविधिक दायित्वों की अनुपालना के संबंध में जिसमें सेबी विभिन्न कानूनों के अंतर्गत दो वर्षों की अवधि के लिए प्रशासन और प्रवर्तन के लिए सक्षम है, के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियुक्त न करें।

*****